<u>विज्ञान भवन, नई दिल्ली में शहरी अभिशासन में नवाचार पर सम्मेलन</u>

अगस्त 26-27, 2013

सत्र V: नागरिक एवं सामुदायिक सहभागिता

नगरीय मामलों में नागरिकों की सीधी सहभागिता में काफी अंतर हैः शहरी भारत में ग्राम-सभाओं जैसे घटक का काफी अभाव है जिसकी स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय मामलों में नागरिकों की सीधी सहभागिता के एक साधन के तौर पर की गई थी। इस विफलता से सीख को किसी भी नई व्यवस्था के कार्यान्वयन में अपनाया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, सामुदायिक सहभागिता विधेयक का उद्देश्य स्थानीय संरचनाओं को महत्वपूर्ण भूमिका आवंटित करना है, जैसे कि क्षेत्र सभा, जो वर्तमान में वार्ड समितियों के अतिरिक्त है। पूरे देश भर के शहरों में कई वार्ड समितियों ने शायद ही किसी कोई बैठक की होगी और उनकी प्रशासनिक दक्षता में कमी उन्हें वार्ड पार्षदों के आचरण पर अथवा दबाव समूहों के दृढ़-संकल्प और क्षमता पर निर्भर करता है।

सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन और जवाबदेही, आंकड़ों की सटीकता और समयबद्धता के बारे में सवाल उठाता है। यह इसे भी मानता है कि नगरीय वित्तीय प्रबंधन के अभ्यास और जानकारी समुदायों के लिए आसानी से सुलभ नहीं हो पा रहे हैं। सुलभता की यह कमी स्पटष्ट तौर पर उन्हें प्रभावित करने और संसाधन प्रबंधन पर नज़र रखने के दायरे, निवेशों की प्राथमिकता में मदद करने और उनकी सेवा प्रदेयता प्राथमिकताओं को अभिव्यक्त करने से वंचित करती है। इसके परिणाम स्वरूप 74वें संशोधन में परिकल्पित उनकी स्वायत्तशासी और जवाबदेह बनने की क्षमता में कमी आती है। प्रस्तावित सामुदायिक सहभागिता कानून - जो इससे जुड़े स्तरों पर क्षेत्र सभाओं के माध्यम से नागरिकों को नगरीय अभिशासन में एक औपचारिक भूमिका अदा करने और सेवा प्रदेयता के अनुश्रवण की सुविधा देता है - में अभी भी सहमति बनाए जाने तथा विभिन्न राज्यों में इसे लागू किए जाने की आवश्यकता है (रामनाथन 2007)।

अपर्याप्त सार्वजनिक प्रकटीकरणः 'सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005' और प्रस्तावित नगरीय प्रकटीकरण कानून अनिवार्य सार्वजनिक प्रतिवेदन प्रणाली की ओर महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है। अतीत में, जानकारी को अधिकतर आंतरिक तौर पर उपयोग किया जाता थाः नई व्यवस्था में इस प्रणाली को परिवर्तित करने का वायदा किया गया है। इससे नागरिकों और अन्य हितधारकों को बेहतर जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उसी जानकारी का उपयोग करने की अनुमति देगा। साथ ही साथ, सरकार को और अधिक विश्वसनीय बनाने और नियमित रूप से उचित जानकारी प्रदान करने के लिए प्रोत्साहन भी पैदा करेगा। प्रकटीकरण नीति और व्यवहार में बड़े पैमाने पर परिवर्तन में समय लगेगा।

नागरिक प्रतिवेदन कार्डस, स्थानीय स्तर पर प्रकटीकरण अभ्यास में बड़े बदलाव की शुरूआतः वर्ष 1994 में पब्लिक अफेयर्स सेंटर (पीएसी), एक बैंगलोर-स्थित गैरसरकारी संगठन (एनजीओ) ने सरकार के कार्यप्रदर्शन पर प्रतिवेदन की परिकल्पना की शुरूआत की। पीएसी के अनुभवों में नियमित जानकारी के प्रवाह की महत्ता पर जोर दिया गया है। मुंबई में, शहरी झुग्गियों में सेवाओं पर एक नागरिक प्रतिवेदन कार्ड के निष्कर्षों को 'नागरिकों के मांग चार्टर' का मसौदा तैयार करने के लिए उपयोग किया गया था। गुजरात में, स्वरोजगार प्राप्त महिलाओं के संघ (सेवा) ने अपने नागरिक प्रतिवेदन कार्ड को प्रत्येक क्षेत्र हेतु वार्ड-वार निष्कर्षों के आधार पर विभाजित कर सेवाओं पर तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य को शामिल किया गया था। इससे खराब प्रदर्शन वाले वार्डों के लोग अपने वार्ड पार्षद से स्पष्टीकरण मांगने हेतु प्रोत्साहित हुए और सुधार के प्रयास किए गए।

महत्वपूर्ण प्रश्नः निवासी, व्यवसायी, गैर सरकारी संगठन - दूसरों के साथ साथ - हमारे शहरों को आकार देने के निर्णय करने हेतु किस प्रकार औपचारिक तथा अनौपचारिक तरीके से योगदान दे सकते हैं?

अध्यक्षताः श्री अरुण मैरा, सदस्य, योजना आयोग एवं राष्ट्रीय नवाचार परिषद

1. सुश्री भद्रा बी, उप महापौर, कोचीन नगर निगम
   - शहरी अभिशासन और सेवा प्रदेयता में नागरिक और समुदाय किस प्रकार भाग ले सकते हैं
2. सुश्री बिजल भट्ट, महिला हाउसिंग ट्रस्ट
   - अहमदाबाद और सूरत में जमीनी स्तर पर समुदायों के साथ कार्य करने से सीखना
3. श्री एस.एम. विजयानंद, अतिरिक्त सचिव, ग्रामीण विकास
   - ग्राम सभाएं ओर शहरों के लिए सीख

प्रत्येक सत्र 1.5 घंटे का होगा - प्रत्येक प्रस्तुतिकरण लगभग 10 मिनट की होगी। शेष एक घंटे की अवधि प्रतिभागियों के साथ आपसी परिचर्चा के लिए और मंच के निर्धारण तथा अध्यक्ष द्वारा सार-संक्षेपण (10 मिनट) के लिए होगी।